


राजस्थान सरकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

पत्रांक-सी.ई.(एस.एस.)/एस.आई.एण्ड क्यू.सी./10-11/डी- 56 दिनांक - 14.9.10

अधीक्षण अभियंता .....(समस्त)  
अधिशायी अभियंता. (गुण नियंत्रण खण्ड).....(समस्त)  
राजस्थान।


समस्त अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 1 करोड़ से अधिक कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र देने से पहले उस कार्य के सम्पूर्ण क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सम्बन्धित अधिशायी अभियंता, गुण नियंत्रण खण्ड से करवायेंगे तथा उनसे क्वालिटी सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि उक्त कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पन्न हुआ है।

अधीक्षण अभियंताओं से निर्देश प्राप्त होने के 15 दिवस में अधिशायी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये बाध्य रहेंगे।

भवदीय,  
  
मुख्य अभियंता(एस.एस.)  
सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि.राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., रा.उ.मा./भवन/पी.एम.जी.एस.वाई./सडक/राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता.....(समस्त) राजस्थान, जयपुर।

  
मुख्यअभियंता(एस.एस.)  
सार्वजनिक निर्माण विभाग